

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

परशुराम धानका  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
04.08.2022

मिसल नम्बर  
15/2019/प्रा.पत्र/2015

तारीख दायरा  
08.04.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री जमनालाल सैनी पुत्र श्री रामनारायण सैनी जाति माली निवासी बस स्टैण्ड ककोड़ तह.  
उनियारा जिला टोंक मैसर्स जय कल्याण मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड ककोड़ तह. उनियारा  
जिला टोंक राज.

2-मैसर्स जय कल्याण मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड ककोड़ तह. उनियारा जिला टोंक राज.

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की  
उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)  
उपस्थित-

- 1-पेरोकार सरकार उप.।
- 2-अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:-निर्णय:-

दिनांक 04.08.2022


संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 04.11.2018 को समय 03:15 पीएम पर मैसर्स जय कल्याण मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड  
ककोड़ तह. उनियारा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री जमनालाल सैनी पुत्र श्री  
रामनारायण सैनी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री  
जमनालाल सैनी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया एव खाद्य अनुज्ञा  
प्रपत्र नहीं होना स्वीकार किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को  
विक्रय करने हेतु दुकान में स्टील की 10 ट्रे में लगभग 50 किलोग्राम मावा बर्फी (खोया बेस्ड  
स्वीट) रखी हुई थी, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा  
हुआ तो श्री जमनालाल सैनी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ.  
को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री जमनालाल सैनी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व  
आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ  
सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) वास्ते मानक स्तर की  
जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 2 किलोग्राम मावा बर्फी खरीदा, जिसकी कीमत  
विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम मावा बर्फी (खोया बेस्ड  
स्वीट) को बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी कोंच की चार  
शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशी में 500-500 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशी में 40 प्रतिशत



1947

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

फार्मलिन की 40-40 बूंदें डालकर अच्छी तरह हिला-मिलाकर प्रत्येक शिशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2053 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी आई-2053 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/3094 दिनांक 11.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2140/एक्ट/2017/1489 दिनांक 28.11.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के अनुसार अवमानक(**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया। अत आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री रमेश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया और ना ही अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। अतः परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक(**Sub-Standard**) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (**Mis-Branded**) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,20,000/- (अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये



चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय आज 04.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धनका)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय अधिकारी एवं  
टोंक  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0